श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सभापति : श्री राम विचार नेताम। ...(**व्यवधान**)... जब नाम बुलाया जाए, तो खड़े होना चाहिए।

Misuse of District Mineral Fund (DMF) in Chhattisgarh

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, छत्तीसगढ़ खनन प्रभावित प्रदेश है। इस खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना' के माध्यम से राज्य को धनराशि आवंटित की जाती है और इसके व्यय हेतु नियम भी निर्धारित किये गये हैं। केन्द्र सरकार ने इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित गाँवों में करने का प्रावधान भी तैयार किया है, किन्तु इसकी अनदेखी करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में इस मद का उपयोग अन्य स्थानों के अलावा अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने की जगह कम्बल वितरण का काम किया जा रहा है, कलेक्टर कार्यालय के उन्नयन का कार्य भी इसी मद से किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह की गड़बड़ी डीएमएफ मद से की जा रही है। नियमानुसार 7 दिन पूर्व डीएमएफ परिषद् की बैठक की सूचना दी जानी चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से बैठक किये जाने की जगह वीडियोकाँफ्रेंसिंग की जा रही है। खनन प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधि एवं इस समिति के सदस्यों से कार्यों के प्रस्ताव भी नहीं माँगे जाते और न इसके लिए अवसर दिया जाता है। कार्यों की क्रमबद्ध जानकारी दिए जाने की जगह महज औपचारिकता निभाई जाती है। परिषद् के संज्ञान में लाए बिना ही कार्यों में परिवर्तन किया जा रहा है। यहां तक की डीएमएफ से कराये जा रहे कार्यों में भारी अनियमितता होने के बाद भी उसकी गुणवत्ता की किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है और न ही उसकी अनियमितता की जांच के बारे में कोई कार्रवाई की जा रही है। महोदय, मैंने इस महत्वपूर्ण विषय को आपकी अनुमति से उठाया है, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.